<u>अति आवश्यक/महत्वपूर्ण/गोपनीय</u>

<u>कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद ।</u>

संख्याः 3475/एस0टी0-1990 दिनांक दिसम्बर 11, 1990

समस्त उप निबन्धक,
उत्तर प्रदेश ।

इसके पूर्व में मैंने कई बार निर्देश दिया है कि जहॉ कहीं भी लेखपत्रों में स्टाम्प की कमी समझी जाय, उन सभी मामलों को आप स्वयं अधिनियम की धारा 47ए के अन्र्तगत सन्दर्भित करें । कहीं-कहीं बैठकों में यह कठिनाई व्यक्त की गई है कि मामला सन्दर्भित करने पर पक्षकार तथा विशेषकर अधिवक्तागण निबन्धकों के विरूद्ध हो जाते हैं और शिकायत करते हैं। इसका एक उपाय मैंने यह सुझाया था कि आप ऐसे मामलों को छांटकर अपने स्वयं के हस्ताक्षर से सन्दर्भित न कर अपने जिला निबन्धक या सहायक महानिरीक्षक के हस्ताक्षर से सन्दर्भ भेजवा दें । इससे विभाग को कोई क्षति नहीं होगी और आपकी कारगुजारी भी पूरी हो जायेगी ।

कृपया जैसी भी स्थिति हो, तद्नुसार कार्यवाही करें तथा अधिक से अधिक प्रकरणों को सन्दर्भित करें ।

(जे0 एन0 द्विवेदी)
महानिरीक्षक, निबन्धन,
उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद ।

<u>अभिनन्दन मिश्र ।</u>